

**मांग संख्या 67**  
**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 1**

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संभागीय/उप संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर रूपये 1089.67 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,89,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

**मद क्रमांक 2**

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मण्डल कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर रूपये 71.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 71,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं मुख्य अभियंता कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर रूपये 254.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,54,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संभागीय एवं उपसंभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर रूपये 892.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,92,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4059**

**मद क्रमांक 5**

भवन निर्माण कार्य हेतु रूपये 333.56 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । उक्त व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।